न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2015

श्रीमती सुशीला पत्नि श्री शंकरलाल कौम कुम्हार आयु बालिग निवासी गांव कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 ————प्रार्थिया

ब ना म

1– श्रीमति श्रवणी पत्नि श्री जोगा जी आयु बालिग
2– श्री रामनाथ पुत्र श्री जोगा जी आयु बालिग
3– श्री मुकेश पुत्र श्री जोगा जी आयु बालिग
समस्त जाति रेबारी निवासी गांव कुण्ड का लाम्बा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज
4– श्रीमति अणची पत्नि श्री रामकरण जी आयु बालिग
5– श्रीमति लाली पत्नि श्री सांवरलाल जी आयु बालिग
6– श्रीमति चान्दू पत्नि श्री हीरालाल जी आयु बालिग
समस्त जाति जाट निवासी गांव कुण्ड का लाम्बा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज.
7– श्री रज्जाक खां पुत्र श्री रहमान खां आयु बालिग जाति मुसलमान
निवासी गांव कुण्ड का लाम्बा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज.
8– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा जिला–अजमेर

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 27.6.2018

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि गांव लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 796 रकबा 09–03–00 किस्म बा. 3 के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त प्रार्थिया चली आ रही है। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आने जाने व काश्त की सामग्री लाने व ले जाने के लिए कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है, जिससे प्रार्थिया को असीम हानि होने के साथ उसके व उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ रखी है। प्रार्थिया की उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम बेगलियावास से राताकोट जाने वाले मार्ग पर स्थित है। उक्त मार्ग से लगाकर ही अप्रार्थीगण के खेत स्थित है, जिसके खसरा संख्या 789, 790, 792 हैं जिसमें से होकर प्रार्थिया उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चलकर अपने खेत खसरा संख्या 796 में वर्षो से प्रार्थिया व उसके परिवारजन का आने जाने का रास्ता स्थित हैं जिसके संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अ ब स द से दर्शाया गया हैं जिससे प्रार्थिया व उसके परिवारजन अपनी खातेदारी की उक्त आराजी में आ जा रहे हैं व साथ ही उसके कृषि वाहन भी आ जा रहे हैं किन्तु रास्ता तरमीम नहीं होने से प्रार्थिया को काफी विवादों का सामना करना पड़ता है व रास्ता नहीं होने से काश्त हेतु ट्रेक्टर ट्रोली नहीं ले जा पा रहे हैं व न ही काश्त कर पा रहे हैं। प्रार्थिया की वादग्रस्त आराजी में आने जाने के लिए एवं उसमें ट्रेक्टर ट्रोली या अन्य वाहन के आने जाने के लिए खसरा संख्या 789 रकबा 04–17–00 किस्म बा.3, खसरा संख्या 790 रकबा 08–07–00 किस्म बा.2 व खसरा संख्या 792 रकबा 10–00–00 किस्म बा.3 में से 30 फीट चौड़ाई की भूमि रास्ते के लिए आवश्यक है, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है, जो कि प्रार्थिया के व उसके वाहनों के काम आयेगी, उसका वे अप्रार्थीगण को बाजार भाव से या माननीय न्यायालय द्वारा जो भी कीमत तय की जावेगी, भूमि की कीमत की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार व तत्पर हैं व सदैव रहेगी। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 से अपने खेतों पर जाने के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के लिए मौखिक निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने दिनांक 01.06.2015 को माननीय न्यायालय के आदेश के अभाव में रास्ता देने से इन्कार हो गये। इस कारण से यह आवेदन पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसका वर्णन पद नम्बर 1 में किया गया है, में आने जाने के लिए खसरा संख्या

(सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज0

.....................लगातार

790 रकबा 04—17—00 किस्म बा.3, खसरा संख्या 790 रकबा 08—07—00 किस्म बा.2 व खसरा संख्या 792 रकबा 10—00—00 किस्म बा.3 में संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु दिलाया जाय व जितनी भूमि रास्ते की ऐवज में आये उसकी न्यायोचित कीमत निर्धारित की जाकर प्रार्थिया से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की दिलायी जाये तथा जो रास्ता माननीय न्यायालय दिलाया जाना तय करें उस रास्ते को रेवेन्यू रेकार्ड में पृथक नम्बर डाला जाकर रास्ता दर्ज किया जाय एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 8 को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 7 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता ने समय दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः उनके जवाब हक बंद किये जाते हैं।

तहसीलदार मसूदा ने उनके पत्र क्रमांक भू.अ./17/2691 दिनांक 08.07.2017 से रिपोर्ट भिजवाकर कथन किए हैं कि खातेदारी की भूमि खसरा नम्बरान से मुख्य सड़क पर पहुंचने के बीच में खसरा नम्बर 792 कुल रकबा 10—00—00 किस्म बा. 3 (खातेदार जीगा पुत्र लालू रेबारी) में से प्रभावित रकबा 00—04—00 तथा ख.नं. 789 कुल रकबा 04—17—00 किस्म बा.3 (खातेदार अणची पत्नी रामकरण लाली पत्नी सांवरलाल व चान्दू पत्नी हरिलाल कौम जाट) में से प्रभावित रकबा 00—04—00 व खसरा नम्बर 790 कुल रकबा 08—07—00 किस्म बा.2 रकबा 00—04—10 रास्ता देने में प्रभावित होता है। ग्राम लाम्बा की सड़क के पास की डीएलसी दर 27140 रूपये प्रति बीघा हैं तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता प्रस्तावित किया है।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा की जमाबन्दी संवत् 2069—72 के खाता संख्या 283 में अंकित अन्य खसरान् के साथ दर्ज खसरा संख्या 796 प्रार्थिया सुशीला पत्नि शंकरलाल कौम कुम्हार राहिन एसबीबीजे शाखा मसूदा मुर्तहिन दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 118 में अंकित खसरा संख्या 792 रकबा 10—0—00 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता जोगा पुत्र लाभू कोम रेबारी सा. देह खातेदार सम्पूर्ण खाता राहिन पीएनबी शाखा बिजयनगर के नाम दर्ज है। खाता संख्या 3 में अंकित खसरा संख्या 789 रकबा 04—17—00 किस्म बा.3 प्रतिवादिया संख्या 4 से 6 अणची पत्नी रामकरण लाली पत्नी सांवरलाल व चान्दू पत्नी हीरालाल कौम जाट ब.हि.ब.सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 350 में अंकित खसरा संख्या 790 रकबा 08—07—00 किस्म बा.2 अप्रार्थी संख्या 7 के पिता रहमान वल्द गुलाब खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया की खातेदारी भूमि से मुख्य सड़क पर पहुचने के बीच में खसरा नम्बर 792 कुल रकबा 10—00—00 किस्म बा. 3 (खातेदार जोगा पुत्र लालू रेबारी) में से प्रभावित रकबा 00—04—00 तथा ख.नं. 789 कुल रकबा 04—17—00 किस्म बा.3 (खातेदार अणची पत्नी रामकरण लाली पत्नी सांवरलाल व चान्दू पत्नी हरिलाल कौम जाट) में से प्रभावित रकबा 00—04—00 व खसरा नम्बर 790 कुल रकबा 08—07—00 किस्म बा.2 रकबा 00—04—10 रास्ता देने में प्रभावित होता है। ग्राम लाम्बा की सड़क के पास की डीएलसी दर 27140 रूपये प्रति बीघा बताई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी संख्या 7 ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एव ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह ज़ाहिर होता हो कि प्रार्थिया के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थिया स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 796 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी पाई जाती है।

(सुरेश ...)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक ...
मसूदा (अजमेर)

लगातार ....

ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 796 रकबा 09–03–00 किस्म बारानी 3 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 792 कुल रकबा 10–00–00 किस्म बा. 3 में से रास्ते हेतु रकबा 00–04–00 तथा ख.नं. 789 कुल रकबा 04–17–00 किस्म बा.3 में से रास्ते हेतु रकबा 00–04–00 किस्म बा.2 तथा खसरा नम्बर 790 कुल रकबा 08–07–00 किस्म बा.2 में से रास्ते हेतु रकबा 00–04–10 कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 00–12–10 अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि पर डी.एल.सी. दर अनुसार 00–12–10 भूमि की कुल राशि 16337.50 रू. बनती है एवं जिसकी दुगुनी राशि रू. 32675 रू. बनती है। उक्त राशि 32675/– रू. अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा की जावे। अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 को राशि रू.10456, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को राशि रू. 10456 तथा अप्रार्थी संख्या 7 को राशि रू. 11763 अदा किये जावे। उक्तानुसार राशि अदा किये जाने पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार राजकोष में उक्त राशि जमा कराई जावे जो अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार प्राप्त की जा सकेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 27-6-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:13:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: